

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/बो-3/2018-19/03

दिनांक:- 06-02-2020

कार्यालय आदेश

शासकीय आज्ञा क्रमांक-प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017, जयपुर दिनांक 28.01.2017 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) को नामित किया गया था।

उक्त शासकीय आज्ञा द्वारा जिला बांसवाड़ा एवं जिला अलवर में नामित किए गए "पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों" की सूची में से निम्नांकित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को, संबंधित ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को नगरपालिका के रूप में घोषित/सम्मिलित किये जाने के कारण जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एतद्वारा समाप्त किया जाता है:-

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति/ ब्लॉक	ग्राम पंचायत	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) जिन्हें समाप्त किया जाता है	समाप्त करने का कारण
1	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	राउमावि थानागाजी	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-एफ 10(क)(ग्राम पंचायत)(न.पा.गठन)() श्रेणी/डीएलबी/18/2276 दिनांक 14.09.2018 द्वारा ग्राम पंचायत थानागाजी, के राजस्व सीमा क्षेत्र को नगर पालिका "थानागाजी" (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित/सम्मिलित किये जाने के कारण।
2	बांसवाड़ा	गढी	परतापुर	राउमावि परतापुर	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-एफ 10(क)(ग्राम पंचायत) (न.पा.गठन)() श्रेणी/डीएलबी/ 18/1846 दिनांक 30.05.2018 एवं एफ 10(क)(ग्रा.पं.) (न.पा.गठन)() श्रेणी/डीएलबी/ 18/ 8044 दिनांक 29.08.2019 द्वारा ग्राम पंचायत परतापुर के राजस्व सीमा क्षेत्र को नगरपालिका "परतापुर-गढी" (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित/सम्मिलित किये जाने के कारण।

(हिमांशु गुप्ता) 06/0

आई.ए.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर


क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/विविध/बो-3/2018-19/03

दिनांक:- 06-02-2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
8. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
9. संबंधित जिला कलेक्टर।

10. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
12. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
13. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
15. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
16. सहायक निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
17. सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा.शि., राज., बीकानेर